



Ref.:

1/8/2025

To Whom It May Concern!

This is to notify that our attention has been drawn to the recent hottest news of HMP Virus cases in India. Therefore, it is circulated to all the respective to follow the SAFETY MEASURES/PREVENTIVE MEASURES to try to avoid HMPV. Please consider it as the compulsory Protocol.

1. Mask is compulsory. No persons without mask is allowed to enter inside the school compound.
2. Parents are strictly instructed to keep their wards at home if anyone is slightly falling sick and not to send to school till a clear authorized permission by any health professionals. Online assistance will be provided for such students.
3. Parents are also advised to practise good hygiene practices under regular monitoring at home.

Please be informed as circulated, thanking!

जो जिस से सम्बन्धित है !

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि हमारा ध्यान भारत में एच्. एम्. पी. वायरस के मामलों की हालिया सबसे चर्चित खबर की ओर आकर्षित हुआ है। इसलिए, एच्. एम्. पी. से बचने के लिए सुरक्षा उपायों/निवारक उपायों का पालन करने के लिए सभी संबंधित लोगों को यह सूचित किया जाता है। कृपया इसे एक अनिवार्य प्रोटोकल माना जाए।

1. मास्क अनिवार्य है। बिना मास्क के किसी को स्कूल परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है।
2. अभिभावकों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई थोड़ा भी बीमार पड़ रहा है तो अपने बच्चों घर पर ही रखें और किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा स्पष्ट आधिकारिक अनुमति मिलने तक स्कूल न भेजें। ऐसे छात्रों के लिए आनलाइन सहायता प्रदान की जाएगी।
3. अभिभावकों को घर पर नियमित निगरानी के तहत बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य कार्यशैली का पालन करवाने की भी सलाह दी जाती है।

कृपया इसी अनुसार सु-सूचित बने, धन्यवाद !



SILIGURI NATIONAL SCHOOL

C.B.S.E.

REGD.NO. S/ILI 29050

Tumbajote, Beldangi Road, P.O. & P.S. Matigara.

Cell: 76022 94257, 85159 19622

Email: slqnschool118@gmail.com

তারা কার সাথে সম্পর্কিত!

এটি সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানোর জন্য যে ভারতে HMP ভাইরাসের সাম্প্রতিক হাইপ্রোফাইল খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাই, HMPV এড়াতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃপা করে একটি বাধ্যতামূলক প্রোটোকল হিসাবে এটি বিবেচনা করুন.

1. মাস্ক বাধ্যতামূলক। মাস্ক ছাড়া কাউকে স্কুলের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
2. অভিভাবকদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কেউ যদি সামান্য অসুস্থও হয় তবে তাদের সন্তানদের বাড়িতে রাখতে এবং কোনও স্বাস্থ্য পেশাদার দ্বারা স্পষ্ট সরকারী অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের স্কুলে পাঠাবেন না | এই ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন সহায়তা প্রদান করা হবে।
3. অভিভাবকদেরও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে শিশুরা বাড়িতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অধীনে ভাল স্বাস্থ্য অভ্যাস অনুসরণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুগ্রহ করে সেই অনুযায়ী ভালভাবে অবহিত করা, ধন্যবাদ!

School Authority